बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–3/अ0प्र0–1–76/2020 49 /पटना, दिनांक :– 11.12.24

श्री प्रेमचन्द्र झा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज अंतर्गत संवेदक नारायण कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा आई0डी0 सं0–63867 63868, 63870, 63875, 63876, 64614 एवं 64618 में अग्रधन के रूप में प्रयुक्त बैंक गारंटी संख्या क्रमशः 45/2018, 50/2018, 51/2018, 56/2018, 57/2018, 87/2018 एवं 91/2018 का State SBD की कंडिका 16.1.d में निहित प्रावधान के अनुरूप सत्यापन एकरारनामा संपादित होने से पूर्व नहीं करने तथा जाँच में प्रयुक्त बैंक गारंटी का फर्जी पाये जाने से संबंधित आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–32–सह पठित–ज्ञापांक 1105 अनु0 दिनांक 11.06.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 1843 अनु0 दिनांक 23.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें श्री झा के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का समेकित निष्कर्ष प्राप्त हुआ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री झा को भेजते हुए विभागीय पत्रांक 2404 अनु0 दिनांक 13.11.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

श्री झा द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 27.11.2023 के माध्यम से द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री झा से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि श्री झा के पास निविदा पंजी का प्रभार था। निविदा लिफाफा जिसमे DD, EMD के रूप मे BG/FG/TD, शपथ पत्र के साथ–साथ यंत्र–संयत्र की विवरणी का मिलान करने के उपरांत निविदा पंजी मे अंकित की जाती है तथा यह माना जाता है कि लिफाफा मे दिये गये सभी अभिलेखों की सत्यता जाँच कराने की जबावदेही भी होती है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री प्रेमचन्द्र झा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रेमचन्द्र झा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज सम्प्रति निम्नवर्गीर्य लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

विश्वासभाजन

11.12.24

(डॉ फरीह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—76/2020 3056 /पटना, दिनांक :— 11.12.24

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—76/2020 3056 /पटना, दिनांक :— 11.12.24

प्रतिलिपि :— अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/मुख्य अभियंता—4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा/सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—8/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री प्रेमचन्द्र झा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज सम्प्रति निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12/24

संयुक्त सचिव